न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—49/2021 (GCMS No. 2021/52) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मंगला पुत्र मोतीया जाति मल्हा निवासी ग्राम देवदास का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर।
2. पातीराम
3. वीरीसिंह — पिसरान छोटेलाल
4. चरनसिंह
5. धनीराम
6. नारायनसिंह
7. थानसिंह — पिसरान कामराज
8. ठाकुरदास
9. रामवावू पुत्र सरवती पत्नी नारायनसिंह
10. लोगश्री पत्नी ठाकुरदास
11. बत्तोदेवी पत्नी थानसिंह
12. पूरनसिंह पुत्र छिंग्गा
13. निरनसिंह पुत्र छिंग्गा
14. नृपतसिंह पुत्र छिंगा
15. ऋषिकेश पुत्र छिंग्गा
16. विमलादेवी पुत्री छिंग्गा

जाति मल्हा निवासी ग्राम देवदास का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा अपील संख्या 29/2016

उपस्थितिः—

1. अपीलाट की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा, वकील।
2. रेस्पो. की ओर से श्री गंगाराम शर्मा एवं श्री ललता प्रसाद वकील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य

दिनांक : 20.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के आदेश दिनांक 27.10.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजाखेडा ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के समक्ष एल.आर.एक्ट की धारा 131 व 132 बावत् खसरा नम्बर 1198, 1174, 1175, 1178, 1180, 1181, 1182 व 1195 गैर मुमकिन रास्ता के लिए पेश किया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा समस्त कार्यवाही अपीलांट से छुपाकर उसकी पीठ पीछे एकतरफा तौर पर कर दी गई। अपीलांट को जो नोटिस जारी किया गया वह दिनांक 27.10.2016 को 11 बजे अदालत में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया है जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलांट के पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर करके व दिनांक 28.10.2016 अंकित किये है तथा उस पर पटवारी हल्का ने अंकित किया कि तामील मेरे द्वारा कराई गई तथा उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किये हैं। उसपर भी तारीख 28.10.2016 अंकित की है। इस प्रकार अपीलांट पर तामील नहीं हुई और दिनांक 27.10.2016 को अपीलाधीन आदेश अपीलांट की बैकपर कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री गंगाराम शर्मा एवं श्री ललता प्रसाद एडवोकेट्स पैरवी हेतु हाजिर अदालत आये।
3. विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को मौखिक रूप से दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 27.04.2021 को तब हुई जब अपीलांट पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने गया तथा पटवारी ने बताया कि तुम्हारे खेतों में से रास्ता निकल गया है। तब अपीलांट ने तहसीलदार राजाखेडा के यहॉ से जमाबंदी व नामांन्तरकरण की नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 28.04.2021 को मिल गई और उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा को निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 30.04.2021 को प्राप्त हुई। दिनांक 01.05.2021 व 02.05.2021 का अवकाश होने के कारण यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील में हुई देरी को माफ करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसिल है जो काबिले निरस्तनीय है। रेस्पो. में से सरवती पत्नी नारायनसिंह व छिंग्गा पुत्र भीखाराम की मृत्यु हो चुकी है। छिंग्गा की मृत्यु निर्णय जैर अपील से पूर्व हो चुकी है तथा सरवती की मृत्यु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बाद में हुई है। मृतक के वारिसान को पक्षकार मुकदमा अपील बनाया गया है। छिंग्गा पुत्र भीखाराम की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी तथा छिंग्गाराम के सम्मन पर छिंग्गाराम की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ भी आया था फिर भी अदालत तहत ने मरे हुये व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही अन्य किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही उसकी विधिवत तामील कराई गई। अपीलांट को जो नोटिस जारी किया गया है वह दिनांक 27.10.2016 को 11.00 बजे अदालत में उपस्थित होने के लिए जारी किया जिसपर पटवारी हल्का ने अपीलांट के पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर करके दिनांक 28.10.2016 अंकित की है तथा उसपर अंकित किया है कि तागील गेरे द्वारा कराई गई। अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 28.10.2016 अंकित की है जबकि तहत अदालत ने दिनांक 27.10.2016 को निर्णय पारित कर दिया था। अपीलांट पर तागील हुये बिना ही अपीलांट की तामील मानते हुये निर्णय पारित कर दिया गया। आराजी खसरा नम्बर 1174, 1175, 1180 व 1195 अपीलांट के कब्जे व खातेदारी के खसरा नम्बरान हैं जिनमें से कभी भी कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है और न ही मौके पर कोई रास्ता बना हुआ है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बरान में से एक बारहमासी रास्ता मौके पर निकल रहा है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। कतई गलत व असत्य अंकित किया है। क्योंकि मौके पर कोई रास्ता कभी नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। अदालत तहत ने मौका नहीं देखा गया और न ही मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजाखेडा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2016 को तहत न्यायालय में पेश किया तथा उसी दिन 21.10.2016 को अदालत तहत ने दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं तथा आईन्दा तारीख पेशी दिनांक 27.10.2016 नियत की गई तथा अपीलांट पर कोई तामील न होते हुये भी उसकी बैकपर जैर अपील निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है जो संधारणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि तहसीलदार राजाखेडा द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 एलआरएक्ट का गैर मुमकिन रास्ता के लिए पेश किया तथा उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा ने दिनांक 27.10.2016 को आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1195, 1174, 1180 मंगला के खातेदारी के है तथा नजरी नक्शा में उक्त नम्बरान में होकर रास्ता दर्शाया हुआ है। मंगला की तामील उसके पुत्र को दिनांक 28.10.2016 को पटवारी हल्का द्वारा कराई गई है जबकि आदेश दिनांक 27.10.2016 को पारित किया गया है। इस प्रकार बिना तामील की कार्यवाही हुवे ही निर्णय पारित किया है, जो विधिविरूद्व है, जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर पारित होने से हमारी राय में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

8. फलस्वरूप अपील अपीलांटस रिमाण्ड की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारों की विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण के आधार पर 1 माह में निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 20.12.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर
भरतपुर